कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रॉक 651 /14–1 मैनपुरी :दिनॉक:अगस्त 28, 2023

सेवा में,

वन सरंक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषय:– साउथ ईस्ट यू0पी0 पांवर ट्रासमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी –उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 1.1391 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069हे0 सरंक्षित एवं 6.2790 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3788 हे0 संरक्षित एवं 7.4181 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पं0 3459/11–सी FP/UP/Trans/21539/2016 दिनॉक 02–5–2023

महोदय,

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0,लखनऊ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर आपत्तियॉ लगाई गई थी। जिनका प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभाग द्वारा विन्दुवार निस्तारण कर अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार मय सलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

क0सं0	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है, संलग्न कर अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में याचक विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी का संलग्न किये गये संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है, अतः निरीक्षण तिथि अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव में संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
3	लीज रेंट प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, किन्तु संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है
7	प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है
8	एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु गणना में दर एवं हरियाली घनत्व गलत अंकित है, अतः सही दर	संशोधित करके संलग्न/अपलोड कर दिया गया है।

	एवं हरियाली घनत्व के अनुसार गणना कर संशोधित एन0पी0वी0 के गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड़ करें तथा एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल्स से पूर्व का त्रुटिपूर्ण गणना को डिलीट करें।	
9	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
10	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न हैं, किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है तथा गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेंचुअरी / वन्य जीव विहार न होने के समबन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का पत्राण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रस्ताव में पृष्ठ सं0–1 से 4 पर संलग्न अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
13	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–4 (1) मन हरियाली घनत्व 0.01 फीड है जोकि त्रुटिपूर्ण है, अतः सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 4(1) में फीड करें।	संशोधित करके संलग्न / अपलोड कर दिया गया है।
14	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हार्डकॉपी भाग–2 प्रस्ताव में सलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
15	तीन वैकल्पिक रूट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेंड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रूट्स का तुलनात्मक जस्टीफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रूट्स का जिओ रिफरेन्स डिजिटल मैप KML फाइल भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
16	प्रस्ताव में संलग्न पेन ड्राइव में पी0डी0एफ0 फाइल अलग अलग है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल तथा प्रस्ताव की KML फाइल एवं तीन वैकल्पिक रूट्स की KML फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में सलग्न करें।	संशोधित करके संलग्न / अपलोड कर दिया गया है।

(एस0एन0मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रॉक 651 / दिनॉकित

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक(पारेषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0एन0मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

new land trans